राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक: प.1(29)चि.स्वा./ग्रुप–3/96 जयपुर, दिनांक : 19.11.2004

अधिसूचना

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप–निरीक्षक से अनिम्न रैंक के समस्त पुलिस अधिकारियों को उनकी अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने के लिए इसके द्वारा सक्षम होना प्राधिकृत करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(गुरचरण सिंह सन्धु)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है:–

1– सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज. जयपुर।
2– सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदया, राज. जयपुर।
3– निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4– निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5– निजी सचिवत्र मुख्य सचिव महोदय।
6– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह मंत्रालय)
7– सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक पी.16011/1/2004 पीएच/दिनांक 10.03.2003 के सन्दर्भ में।
8– महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएें, भारत सरकार, नई दिल्ली।

कृपया पृष्ठ उलटिये.....2

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग –2 खण्ड –1 में दिनांक 19.05.2003 को प्रकाशित) जो कि दिनांक 01.05.2004 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है के प्रावधानो के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद के बेचान, शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकूयुक्त उत्पादनों के भण्डारण, वितरण/बेचान, प्रचार–प्रसार के माध्यमो द्वारा सिगरेट, बीडी, तम्बाकूयुक्त पान मसाला, गुटको के विज्ञापन–प्रसारण को प्रतिबन्धित किया है। सार्वजनिक स्थलों यथा शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों, राजकीय कार्यालयों, यातायात के संसाधनों (रेल्वे, बसें, हवाई जहाज इत्यादि) पर्यटन स्थलों, रेल्वे स्टेशनों, एयर पोर्ट प्रतिक्षालयों, न्यायालय परिसरों, रेस्टोरेन्टों, होटलों (30 अथवा अधिक कक्ष वाले) एवं मनोरंजन स्थलों इत्यादि स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबन्धित किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों के स्वामियों/प्रबन्धकों के लिये उनके संस्थानों के क्षेत्र में "धूम्रपान निषेध क्षेत्र – यहा धूम्रपान करना कानूनी अपराध है" का चेतावनी का सूचना पट्ट (बोर्ड) लगाया जाना भी अनिवार्य किया है। (इन प्रावधानों के अन्तर्गत 30 कमरों वाले होटलों एवं इससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रैस्त्रों के मालिक धूम्रपान क्षेत्र को इस प्रकार अलग–अलग करेंगे कि अधूम्रपायी व्यक्तियों को गैर धूम्रपान क्षेत्र में पहुचने के लिए धूम्रपान क्षेत्र से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़े। पृष्ठ 1 पर अंकित अधिसूचना राजस्थान सरकार के असाधारण गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.04 में प्रकाशित की जा चुकी है। कृपया आपके अधीन संस्थानों में इन प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करायी जावे–

1– समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान
2– महा निदेशक, आरक्षी, राज. जयपुर
3– समस्त आयुक्त/अध्यक्ष, निगम एवं बोर्ड, राजस्थान
4– मण्डल प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर
5– समस्त, सभागीय आयुक्त, राजस्थान
6– समस्त, शासन सचिव, राजस्थान सरकार
7– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
8– सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
9– सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
10– समस्त, जिला कलेक्टर्स, राजस्थान
11– समस्त, विभागाध्यक्ष, राजस्थान
12– पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
13– पंजीयक, समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान
14– पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर
15– प्रभारी, एयरपोर्ट जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
16– औषधि नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर
17– समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.
18– समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
19– समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान
20– रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव